26.06.25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि पूर्व मे प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी सं. 4 के हस्ताक्षर हैं। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्या सोनी)
RAS.